भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1851

06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पोषण संबंधी बीमारियों की रोकथाम

1851. श्री मनीष जायसवाल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की कमी, प्रोटीन कुपोषण और अल्पपोषण जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) खराब स्वास्थ्य का शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में स्वास्थ्य प्रणाली के सभी आयामों में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति को लागू कर रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में जागरुकता बढ़ाना, कैलोरी की कमी सहित कुपोषण का समाधान, प्रोटीन संबंधी कुपोषण कार्यकलाप सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित हैं:

- जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों पर **पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)** स्थापित किए जाते हैं, ताकि चिकित्सा जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन-पेशेंट चिकित्सा उपचार और पोषण संबंधी परिचर्या प्रदान की जा सके। उपचारात्मक परिचर्या के अलावा,

बच्चों के लिए समय पर, पर्याप्त और उचित आहार, पूर्ण आयु-उपयुक्त परिचर्या तथा आहार प्रथाओं में माताओं और परिचर्या प्रदाताओं के कौशल को सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

- **माताओं का संपूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम** स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए लागू किया गया है, जिसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान और उसके बाद आयु-उपयुक्त पूरक आहार संबंधी कार्यनीतियों पर परामर्श शामिल है।
- **स्तनपान प्रबंधन केंद्र**: व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (सीएलएमसी) ऐसे सुविधाकेंद्र हैं, जो नवजात गहन परिचर्या इकाइयों और विशेष नवजात परिचर्या इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पूर्व और कम वजन वाले बच्चों को आहार देने के लिए सुरक्षित, पाश्चयूराइजड डोनर ह्यूमन मिल्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई हैं। स्तनपान प्रबंधन इकाई (एलएमयू) की स्थापना स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र के भीतर माताओं को स्तनपान सहायता प्रदान करने के लिए की गई है, ताकि मां के स्वयं के ब्रेस्टमिल्क को उसके बच्चे को दिए जाने के लिए भंडारण, संग्रहित और वितरित किया जा सके।
- **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी)** कार्यनीति को छह लाभार्थी आयु समूहों - बच्चों (6-59 महीने), बच्चों (5-9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु समूह (15-49 वर्ष) की महिलाओं में सुदृढ़ संस्थागत तंत्र के माध्यम से छह कार्यकलापों के कार्यान्वयन के माध्यम से एनीमिया को कम करने के लिए लागू किया गया है।
- **राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी)** के तहत सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) के बीच मृदा से फैलने वाले कृमि (एसटीएच) के संक्रमण को कम करने के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दो दौरों (फरवरी और अगस्त) में एक नियत दिन में ही दी जाती हैं।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से पोषण सहित मातृ एवं शिशु परिचर्या के बारे में जागरूकता सृजन के लिए **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** मनाए जाते हैं।
- **नवजात और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित परिचर्या**: गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी) और गृह आधारित छोटे बच्चों की परिचर्या (एचबीवाईसी) कार्यक्रम के तहत, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बाल पालन संबंधी कार्यनीतियों में सुधार लाने और समुदाय में बीमार नवजात और छोटे बच्चों की पहचान करने के लिए घरों का दौरा किया जाता है।

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके):** बाल उत्तरजीविता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (अर्थात रोग, कमी, दोष और विकासात्मक विलंब) के लिए जांच की जाती है।

सरकार द्वारा किए गए अन्य क्रियाकलापों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 शामिल है, जो ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को 1 जनवरी, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सरकार मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि कुपोषण, स्टंटिंग, एनीमिया और कम वजन की व्यापकता को कम किया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पोषण मानदंडों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, जो आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित है जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। कम से कम सप्ताह में एक बार गर्म पका हुआ भोजन और आंगनवाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन तैयार करने के लिए बाजरा के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

पोषण माह, पोषण पखवाड़ा और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) के दौरान लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं पर शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन के माध्यम से सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता का समर्थन किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम पोषण), बालवाटिका (प्री-स्कूल) से कक्षा आठ तक के स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषण मानदंडों के अनुसार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करती है।

(ग): सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनके वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। जैसा कि एनएचएम वित्त द्वारा साझा किया गया है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, पोषण कार्यक्रमों के लिए 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित निधियां 1508 करोड़ रुपये थी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यकलापों का समर्थन और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए नियमित राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा, सहायक पर्यवेक्षण यात्राओं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामान्य समीक्षा मिशन के साथ-साथ किया जाता है। एडब्ल्यूडब्ल्यू, एएनएम, सीएचओ और आशाकर्मियों के रूप में क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता कुपोषण, इसके प्रबंधन और स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।

******